राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/523/2012/1695

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
स्वास्थ्य भवन, पटना

पटना, दिनांक 11/07/2024

विषय: राज्य के 27 जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु DPR (Detail Project Report) तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अनुमोदित बजट/RoP में 20 (बीस) जिलों यथा- औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुगेंर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल में जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु प्रति जिला औषधि भंडार 85 लाख की दर से कुल 1700 लाख के बजट का अनुमोदन प्राप्त है।

2. यह जिला औषधि भंडार संबंधित जिला के सदर अस्पताल परिसर/सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में यूनतम 8000 sqft स्थान में निर्मित कराया जाना है। जिला औषधि भंडार का निर्माण भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित Guidelines for Planning and Establishing Drug Wareshouse 2021 में निहित Design and Layout, Equipment and Supplies requirement, Safety and Security, Space, Storage Method आदि को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना है (Guideline की प्रति संलग्न है)।

3. उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 5831 दिनांक 05.02.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमोदित सात (7) जिला औषधि भंडार यथा- पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया एवं पश्चिमी चम्पारण के निर्माण हेतु DPR (Detail Project Report) के साथ ड्राइंग एवं मदवार प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

4. अतः अनुरोध है कि उपरांकित सत्ताईस (27) जिलों के जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु यथाशीघ्र DPR (Detail Project Report) के साथ ड्राईग एवं मदवार प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Suharshe 11/07/24

(सुहर्ष भगत)

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/523/2012/..........

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
स्वास्थ्य भवन, पटना

पटना, दिनांक ....

विषयः राज्य के 27 जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु DPR (Detail Project Report) तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अनुमोदित बजट/RoP में 20 (बीस) जिलों यथा- औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुगेंर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल में जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु प्रति जिला औषधि भंडार 85 लाख की दर से कुल 1700 लाख के बजट का अनुमोदन प्राप्त है।

2. यह जिला औषधि भंडार संबंधित जिला के सदर अस्पताल परिसर/सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में यूनतम 8000 sqft स्थान में निर्मित कराया जाना है। जिला औषधि भंडार का निर्माण भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित Guidelines for Planning and Establishing Drug Wareshouse 2021 में निहित Design and Layout, Equipment and Supplies requirement, Safety and Security, Space, Storage Method आदि को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना है (Guideline की प्रति संलग्न है)।

3. उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 5831 दिनांक 05.02.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमोदित सात (7) जिला औषधि भंडार यथा- पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया एवं पश्चिमी चम्पारण के निर्माण हेतु DPR (Detail Project Report) के साथ ड्राइंग एवं मदवार प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

4. अतः अनुरोध है कि उपरांकित सत्ताईस (27) जिलों के जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु यथाशीघ्र DPR (Detail Project Report) के साथ ड्राईग एवं मदवार प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुहर्ष भगत)

ज्ञापांक: ...1695........... पटना, दिनांक: ..11/07/2024..

प्रतिलिपिः-

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- सिविल सर्जन- औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुगेंर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया एवं पश्चिम चंपारण को सूचनार्थ एवं निदेश है कि BMSICL के क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक, परियोजना से समन्वय कर शीघ्रातिशीघ्र स्थल उपलब्ध कराते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को संसूचित किया जाय।

Suharsha 11/07/24
कार्यपालक निदेशक

(195

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/523/2012/..3970

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
स्वास्थ्य भवन, पटना

पटना, दिनांक 06/10/2023

विषयः राज्य के सात जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु DPR (Detail Project Report) तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में सात जिलों यथा- पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया एवं पश्चिम चंपारण में जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु प्रति जिला औषधि भंडार 85 लाख की दर से बजट का सैद्धान्तिक अनुमोदन है। चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रथम किस्त के रूप में 10 लाख की दर से सात जिला औषधि भंडारों के लिए 70 लाख का बजट " The Proposal is approved for the amount of Rs 595 Lakh (@ 85 lakhs each for 7 districts) for the Construction of the drug warehouse at Patna, Darbhanga, Araria, Buxar, Sheikhpura, Gaya, West Champaran with the conditionality that the State to comply GoI guidelines for planning and establishing Drug warehouse. For FY 2023-24, Rs. 70 lakhs @ Rs. 10 lakhs per warehouse for 7 warehouse is approved" अंकित करते हुए अनुमोदित किया गया है।

2. यह जिला औषधि भंडार संबंधित जिला के सदर अस्पताल परिसर/सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में न्यूनतम 8000sqft स्थान में निर्मित कराया जाना है। जिला औषधि भंडार का निर्माण भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित Guidelines for Planning and Establishing Drug Wareshouse 2021 में निहित Design and Layout, Equipment and Supplies requirement, Safety and Security, Space, Storage Method आदि को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना है (Guideline की प्रति संलग्न है)।

3. अतः अनुरोध है कि उपरांकित सात जिलों के जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु यथाशीघ्र DPR (Detail Project Report) के साथ ड्राईंग एवं मदवार प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन
6/10/23
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक: 3970.......... **पटना, दिनांक:** 06/10/2023

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः- सिविल सर्जन- पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया एवं पश्चिम चंपारण को सूचनार्थ एवं निदेश है कि BMSICL के क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक, परियोजना से समन्वय कर शीघ्रातिशीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।

6/10/23
कार्यपालक निदेशक

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

35

C136

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/523/2012/5831

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
स्वास्थ्य भवन, पटना

पटना, दिनांक 05/02/2024

विषय: राज्य के सात जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु DPR (Detail Project Report) तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 3970 दिनांक 06.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में सात जिलों यथा- पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया एवं पश्चिम चंपारण में जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु प्रति जिला औषधि भंडार 85 लाख की दर से बजट का सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रथम किस्त के रूप में 10 लाख की दर से सात जिला औषधि भंडारों के लिए 70 लाख का बजट भी अनुमोदित है।

2. उक्त अनुमोदन के अनुसरण में संबंधित जिला के सदर अस्पताल परिसर/सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में न्यूनतम 8000sqft स्थान में जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु DPR (Detail Project Report) एवं ड्राईंग तथा मदवार प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के उक्त प्रासंगिक पत्रांक 3970 दिनांक 06.10.2023 द्वारा किया गया था। यह अभीतक अप्राप्त है और इसमें विलंब हो रहा है। प्रासंगिक पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि जिला औषधि भंडार का निर्माण भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित Guidelines for Planning and Establishing Drug Wareshouse 2021 में निहित Design and Layout, Equipment and Supplies requirement, Safety and Security, Space, Storage Method आदि को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना है। यह भी उल्लेखनीय है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त 07 जिला औषधि भंडार एवं अन्य 20 जिला औषधि भंडार के निर्माण मद में बजट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भेजा गया है।

3. अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि पत्र में अंकित सात जिलों के जिला औषधि भंडार के निर्माण हेतु शीघ्रातिशीघ्र DPR (Detail Project Report) के साथ ड्राईंग एवं मदवार प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाय। कृपया विषयांकित मामले में शीघ्रता अपेक्षित है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/2/2

(संजय कुमार सिंह)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

FMR	Programme	S. No	Scheme/ Activity	Proposed FY 2024-25	Proposed FY 2025-26	Approved FY 2024-25	Approved FY 2025-26	Remarks
								competitive bidding. **FY 2025-26:** The State has proposed 479.5 Lakhs (25% of total budget) for procurement of the equipment in FY 2025-26. Activity for RS. 479.5 Lakhs approved. The State is advised to procure the proposed equipment by formulating technical committee consisting of experts for finalising technical specification and through competitive bidding.
		167	Primary Health Centers	132.00		132.00	0	**Approved Rs 132 Lakhs for FY 2024-25 and Rs 0 Lakhs for FY 2025-26 as follows:** Approved Rs 132 lacs as the final instalment for revised cost for construction of 7 APHCs. Any further escalation due to delay in construction would not be supported under NHM.
		168	Sub-Health Centers	2083.00	2083	2083.00	2083.00	**Approved Rs 2083 Lakhs for FY 2024-25 and FY 2025-26 each as follows:** Continued Activity: Approved Rs.2083.00 Lakhs @ Rs.5000 per HWC-HSC per month for 12 months for rent of 3472 HSC-HWC for FY 2024-25 & 2025-26.
		169	Other Infrastructure/Civil works/expansion etc.	850.00	850	850.00	850.00	**Approved Rs 850 Lakhs for FY 2024-25 and FY 2025-26 each as follows:** **For FY 2024-24:** *New Activity 1: Approved the amount of Rs. 850 lakh @ Rs. 85 lakh for 10 District Hospitals for the construction of Drug Ware House.* **For FY 2025-26:** **Continued Activity:** Approved the amount of Rs. 850 lakh @ Rs. 85 lakh for 10 District Hospitals for the construction of Drug Ware House.
		170	Renovation/Repair/ Upgradation of facilities for IPHS/NQAS/MUS	2000.00	2200.00	2000.00	2200.00	**Approved Rs 2000 Lakhs for FY 2024-25 and Rs 2200 Lakhs for FY 2025-26 as follows:** Approved Rs. 2000 lakhs for FY 2024-25 and Rs. 2200 lakhs for 2025-26 to achieve public health facilities IPHS/NQAS/MUSQAN/SUMAN Compliant.